रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी–88 (पार्ट–1)/2017–18/2018/1071   दिनांक : 3/4/18

अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय संघ,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/ जोधपुर
कोटा/उदयपुर
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
अलवर/बाडमेर/बांसवाडा/भरतपुर/भीलवाडा/
जालौर/पाली/श्रीगंगानगर/सीकर (राज0)

विषय :– जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु आपके प्रशिक्षण केन्द्र को आंवटित छात्रों के प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण सत्र 2017–18 के संबंध में 15 राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम काउंसलिंग पश्चात् शेष रही रिक्त सीटों की दिनाक 02.04.2018 एवं 03.04.2018 को ऑनलाईन काउंसलिंग की जाकर आपके नर्सिंग स्कूल को आंवटित छात्र, जिनकी सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड की जा चुकी है। अतः आपके नर्सिंग स्कूल को आंवटित छात्रों से उक्त कोर्स में उपस्थिति लेने से पूर्व निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करे। इस संबध में विज्ञप्ति क्रमांक 621–622 दिनांक 24.08.2017 की छाया प्रति संलग्न है :–

1. यदि अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण है तो उसकी मान्यता के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका अनुसार बोर्ड की मान्यता होने पर ही इनकी समकक्षता सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की मूल अंकतालिका की जांच की जावे।
2. आयु :– सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.12.2017 को पुरूष एवं महिला के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं पुरूष की अधिकतम आयु 28 वर्ष व महिलाओं की अधिकतम 34 वर्ष होनी चाहिये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है।
3. विभागीय सेवारत कर्मचारी का प्रमाण पत्र जिसमें दिनांक 20.09.2017 तक 5 वर्ष की नियमित सेवा (संविदा/समेकित सेवा को छोडकर) पूर्ण कर ली गई हो, जो कि सेवा संबंधी प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की जांच की जावे।
4. निःशक्त अभ्यार्थियों (एक पैर से विकलांग) के वास्तविक निःशक्तता प्रमाण पत्र जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, जो तीन वर्ष से पुराना ना हो, की जांच की जावे।
5. अन्य पिछडा वर्ग एवं **More Backward Classes** का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।

कृ0पृ0उ0

6. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजातिय अभ्यार्थियों का सक्षम स्तर से जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे तथा सहरिया अभ्यार्थियों के सक्षम स्तर से जारी बारां जिले का निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे।
7. अभ्यार्थी की उपस्थिति लेने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईनिंग से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. महिला अभ्यार्थी के चयन के समय यदि वह **गर्भवती** पायी जाती है तो उससे ऐसी स्थिति में अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए उसको आगामी बैच में प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। उसकी सूचना तत्काल निदेशालय को भिजवाये।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं/दस्तावेजों में तथा निदेशालय द्वारा जारी सूचना अनुसार प्राप्तांका/नाम/अन्य सूचनाओं में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी को ज्वाईन कराने से पूर्व निदेशालय को सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करे।

प्रशिक्षण में प्रवेश देने से पूर्व उपरोक्त एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की जांच करना सुनिश्चित करे। यदि भविष्य में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो उसके लिए होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न :– विज्ञप्ति की छाया प्रति।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी–88 (पार्ट–1)/2017–18/2018/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को संबंधितों को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करे एवं संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों को आज ही मेल करने का श्रम करे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर